राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 129/2020
GCMS NO.- 2020/00267

1. सुनिता पत्नी सत्यवीर जाति मेघवाल निवासी अडुका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

.....वादी

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र रामकुवार जाति मेधवाल निवासी अडुका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
2. तुलसी पुत्री रामकुवार पत्नी मदनलाल जाति मेधवाल निवासी अडुका तहसील सूरजगढ हाल खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
3. तीजो पुत्री रामकुवार पत्नी मेहरचन्द जाति मेधवाल निवासी अडुका तहसील सूरजगढ हाल खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ।

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 24/6/21

वादिया की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

1. यह है कि वादीया द्वारा क्रय के गई कृषि भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 1.5200 है0 राजस्व ग्राम अडुका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं में स्थित है।

2. यह है कि वाद वर्णित भूमि को वादिया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता से क्रय दिनांक 04.06.2019 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि का कब्जा वादिया ने प्राप्त कर लिया तथा वादिया क्रय दिनांक से उक्त वर्णित भूमि पर काबिज है।
3. वदिया द्वारा उक्त कृषि भूमि को क्रय करने बाद राजस्व रिकार्ड की कोई जानकारी नही ली व. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता का देहान्त होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की जानकारी ... उक्त कृषि भूमि का राजस्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता के नाम होने से प्रतिवादी ... 1 ने नाजायज रूप से उक्त भूमि का उत्तराधिकार नामान्तकरण ... राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जो वादिया के हक व अधिकारों के प्रति शुरू से शुन्य व बेअसर है।

वादीया ने वाद पत्र पेश अनुतोष चाहा है कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

(अ) वाद वर्णित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 397 रकबा 1.5200 है. राजस्व ग्राम अडुका पटवार हल्का अडुका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू कि वादिया को विक्रय के आधार पर खातेदार काश्त घोषित किया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से श्री लालचंद गोठवाल एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। इकबालिये जवाब पेश किया गया।

वादीया की ओर से साक्ष्य दस्तावेजो में नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 , विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2019 रामकुवार बहक सुनिता, बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा चिड़ावा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया गया।

वादिया व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 ने दिनांक 29.12.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनाम प्रस्तुत किया। राजीनामा पढ़कर, सुनकर वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। **बहस सुनी गई।**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादीया व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि वादिया द्वारा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पिता रामकुवार से दिनांक 04.06.2019 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई है जिसका नामान्तकरण दर्ज नही हुआं था। रामकुवार के देहान्त के पश्चात वाद वर्णित भूमि में विरासतन का नामान्तकरण दर्ज हुआं है। जिससे प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 राजस्व रिकार्ड में खाजेदार दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान की आपसी सहमति व मुताबिक राजीनामा न्यायालय वाद वादीया डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वादीया के वाद को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम अडुका स्थित भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 1.5200 है. में से रकबा 0.44 है. का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 22/6/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकिंत सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –:

अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–129 / 2020

निर्णय दिनांक : 22/6/21

सुनिता बनाम प्यारेलाल आदि

दावा– घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा

वादीया की ओर से श्री श्योप्रसाद एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री लालचंद गोठवाल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22/6/21 को अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वादीया के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम अडुका स्थित भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 1.5200 है. में से रकबा 0.44 है. का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22/6/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:32:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner